

मजदूर समाचार

राहें तलाशने बनाने के लिए मजदूरों के अनुभवों व विचारों के आदान-प्रदान के जरियों में एक जरिया

नई सीरीज नम्बर 194

कहत कबीर

अपने स्वयं के तन व मन का आदर नहीं करना अन्यों के तन व मन का अनादर—अपमान करना लिये है और यह इस व्यवस्था को कन्धा देता है।

अगस्त 2004

मसला यह व्यवस्था है (3)

इस-उस नीति, इस-उस पार्टी, यह अथवा वह लीडर की बातें शब्द-जाल हैं, शब्द-आडम्बर हैं

* राजे - रजवाड़ों के दौर में, बेगार - प्रथा के दौर में मण्डी - मुद्रा का प्रसार कोढ़ में खाज समान था। छोटे - से ग्रेट ब्रिटेन के इंग्लैण्ड - वेल्स - स्कॉटलैण्ड - आयरलैण्ड में भेड़ों ने, भेड़ - पालन ने मनुष्यों को जमीनों से खदेड़ा। कैदखानों में जबरन काम करवाने, दागने, फाँसी देने के संग - संग बेघरबार किये गये लोगों को दोहन - शोषण के लिये दूरदराज अमरीका - आस्ट्रेलिया जैसे स्थानों पर जबरन ले जाया गया। उन स्थानों के निवासियों के लिये तो जैसे शामत ही आ गई हो। गुलामी जिनकी समझ से बाहर की चीज थी उन अमरीकावासियों के कलेआम किये गये। अफ्रीका से गुलाम बना कर लोगों को अमरीकी महाद्वीपों में काम में जोता गया। * फैक्ट्री - पद्धति ने मण्डी - मुद्रा के ताण्डव को सातवें आसमान पर पहुँचा दिया। मजदूर लगा कर मण्डी के लिये उत्पादन वाली फैक्ट्री - पद्धति को भाप - कोयले ने, भाप - कोयला आधारित मशीनरी ने स्थापित किया। इसके संग दस्तकारी और किसानी की मौत, दस्तकारी - किसानी की सामाजिक मौत आरम्भ हुई। छोटे - से ग्रेट ब्रिटेन के कारखानों में 6 - 7 वर्ष के बच्चों, स्त्रियों और पुरुषों को सूर्योदय से सूर्योदय तक काम में जोता गया और ... और बेरोजगार बने - बनते लाखों लोगों के लिये अनजाने, दूरदराज स्थानों को पलायन मजबूरी बने। * फ्रान्स - जर्मनी - इटली ... में फैक्ट्री - पद्धति के प्रसार के संग वहाँ भी आरम्भ हुई दस्तकारी - किसानी की सामाजिक मौत लाखों को मजदूर बनाने के संग - संग यूरोप से बड़े पैमाने पर लोगों को खदेड़ना भी लिये थी। अमरीका... आस्ट्रेलिया... लोगों से "भर गये"। * बिजली ने रात को भी काम के लिये खोल दिया। फैक्ट्री - पद्धति ने हमारी नीद ही नहीं उड़ाई बल्कि मारामारी का वह अखाड़ा भी रचा कि 1914 - 19 के दौरान ढाई करोड़ लोग और 1939 - 45 के दौरान पाँच करोड़ लोग तो युद्धों में ही मारे गये। * अब फैक्ट्री - पद्धति में यह इलेक्ट्रोनिक्स का दौर है। फैक्ट्री - पद्धति का प्रसार पृथ्वी के कौने - कौने में और सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में हो रहा है। इस दौर में एशिया - अफ्रीका - दक्षिणी अमरीका में दस्तकारी - किसानी की सामाजिक मौत तीव्र गति से हो रही है। भारत के, चीन के करोड़ों तबाह दस्तकार - किसान कहाँ जायें? इलेक्ट्रोनिक्स द्वारा दुनियाँ - भर में बेरोजगार कर दिये गये, बेरोजगार किये जा रहे करोड़ों मजदूर कहाँ जायें?

मनुष्यों के मण्डी में माल बन जाने से बनती हालात पर चर्चा जारी रखते हुये आइये प्री - नर्सरी, नर्सरी, एल के जी, यू के जी, पहली कक्षा के दौरान बच्चों और बड़ों के बीच सम्बन्धों पर एक नजर डालें।

- अनजान लोगों द्वारा शिक्षा - दीक्षा का दौर पहली कक्षा से शुरू होना अब गये जमाने की बात बनता जा रहा है। ढाई वर्ष का होते - होते बच्चा - बच्ची को माता - पिता घर के बाहर वाली अनुशासन की चकितियों में पिसने को भेज रहे हैं। परिवार के अन्दर वर्तमान व्यवस्था के साँचे के अनुसार बच्चों के ढलने - ढालने की अगली कड़ी हैं दिहाड़ी वालों की देखरेख में "शिशु मन्दिर"।

- शुरुआत होती है बच्चे की इच्छा मारने से, बच्चे की अनिच्छा की परवाह नहीं करने से। शुरुआत होती है सुबह जबरन उठाने से - पुचकार कर, धमका कर, डरा कर, लालच देकर।

- मौसम कोई भी हो, घर से बाहर सुबह - सुबह जाने के लिये बच्चे को तैयार करना। टट्टी - पेशाब, मुँह धोने - नहाने, कंधी - तेल - पाउडर, वर्दी - टाई - जूते - मौजे, नाश्ता... सब कुछ बच्चों के समय बोध के उलट, सब कुछ घड़ी की सूझियों के अनुसार, सब कुछ बड़ों की रफ्तार के मुताबिक। और, स्वयं की रेल बनाये बड़ों द्वारा अपनी नाजायज झुँझलाहट को जायज ठहराने के लिये बाल व्यवहार को "नखरे" करार देना।

- पेन्सिल, रबड़, कापी, किताब, जूते, जुराब,

टाई, बैल्ट, पानी की बोतल, टिफिन, रुमाल.... सही जगह पर क्यों नहीं हैं? सही समय पर चटपट उपलब्ध क्यों नहीं हो रही? बटन टूटा है ... कल क्यों नहीं बताया? हक्के - बक्के बच्चे और हक्के - बक्के माता - पिता। पानी - गैस - बिजली - दूध - चाय पत्ती - चीनी - सब्जी - रोटी किसी में भी अतिरिक्त दिक्कत पर बच्चे और

ऊँच-नीच / आधुनिक ऊँच-नीच।
अखाड़ा-मण्डी। विश्व मण्डी। होड़ - प्रतियोगिता-कम्पीटीशन का सर्वग्रासी अभियान। स्वयं मनुष्यों का मण्डी में माल बन जाना। यह है वर्तमान समाज व्यवस्था।

माता - पिता के लिये अतिरिक्त लफड़े।

- जल्दी - जल्दी चलो! ऊँह, लाओ नाक साफ करूँ.... और बच्चे के थैले को उठाये माता/पिता के अनन्त प्रवचन: "अपना" पानी पीना, "अपना" भोजन "दूसरों" को मत खिला देना, "अपनी" पेन्सिल, "अपनी" रबड़, "अपनी" पुस्तक खो मत देना - किसी को दे नहीं देना, टीचर को शिकायत करना - टीचर की बात मानना.... यह ताज्जुब की बात है कि "अपनी चिन्ता करने" - खुदगर्जी के इतने पाठ पढ़ाये जाने के बावजूद भी एक - दूसरे के लिये सहभाव उल्लेखनीय है, आशा की किरण तो यह है ही।

- माता/पिता बच्चे को स्वयं छोड़ कर आयें चाहे बच्चा - बच्ची दस अन्य के साथ रिक्शा - आटोरिक्शा में जाये अथवा बस में, घर के बाहर

अनुशासन सिखाने का पहला पाठ है : बैठना सिखाना। वर्दी और समय की पाबन्दी तो होती ही हैं पर पहले पहल इनकी जिम्मेदारी माता - पिता की होती है। चारदीवारी में प्रवेश के साथ ही बच्चों की पढ़ाई आरम्भ हो जाती है।

- ऊँच - नीच वाली व्यवस्थाओं के माफिक शिक्षा - दीक्षा का सार है: आदेश अनुसार क्रियायें करना। इसे ढँग से करना करार दिया जाता है। पंक्ति से प्रार्थना में जाना और आना। निश्चित कतार में खड़ा होना है और कतार का स्थान निश्चित है। पीछे - पीछे बोलना। बड़े के सामने खड़े होना, झुक कर अभिवादन करना। आदेश अनुसार बोलना और नहीं बोलना, चुप रहना। मनाही है लेटने, पसरने, मनमाफिक खेलने की। क्या खेलना है, कब खेलना है, कैसे खेलना है यह सब तय किया रहता है और उसके अनुसार चलना है। पेशाब - टट्टी - पानी - भोजन हुक्म के मुताबिक करने हैं। दण्ड और अपमान के जरिये तकलीफ को दबाना, छिपाना सिखाया जाता है। चेहरे को देख कर, बड़ों के चेहरे अनुसार भावनाओं को व्यक्त करना सीखना। इधर - उधर की सतरंगी बातों को छोड़ना तथा प्रश्न व उत्तर की संकरी आदान - प्रदान वाली लीक पकड़ना - इसमें सफलता पर शाबासी अन्यथा दण्ड - अपमान। भाँति - भाँति के टेटेपन में निपुण होना सफलता की कुँजी....

- घर लौटते ही : कपड़े बदलो। हाथ - मुँह धोओ। खाना खाओ। सो (बाकी पेज दो पर) मजदूर लाइब्रेरी, आटोपिन झुग्गी, एन. आई. टी. फरीदाबाद - 121001 (यह जगह बाटा चौक और मुजेसर के बीच गंदे नाले की बगल में है।)

छानून हैं द्रोषण और छूट है छानून के पके द्रोषण की

कानून : ● 37-40 दिन काम करने पर 30 दिन की तनखा, अगले महीने की 7-10 तारीख तक दे ही देना; ● 8 घण्टे की ड्युटी, तीन महीने में 50 घण्टे से ज्यादा ओवर टाइम काम नहीं, ओवर टाइम का भुगतान वेतन की दुगनी दर से; ● सप्ताह में एक छुट्टी व 8 घण्टे प्रतिदिन ड्युटी पर महीने में अकुशल श्रमिक-हैल्पर की कम से कम तनखा 2244 रुपये (हरियाणा) व 2863 रुपये (दिल्ली), कुशल मजदूर की 2505 रुपये (हरियाणा) व 3029 रुपये (दिल्ली), उच्च कुशल मजदूर 2804 (हरियाणा) व 3287 रुपये (दिल्ली) ●...

एन. एम. नागपाल मजदूर : “प्लॉट 260 सैक्टर-24 स्थित फैक्ट्री में 105 स्थाई मजदूरों में से अब 20 ही बचे हैं। फैक्ट्री में 80 कैजुअल वरकर हैं, 7-8 साल से काम करते हैं, कम्पनी ब्रेक कर रखती रहती है। ई.एस.आई. व.पी.एफ.

बवतों-पत्रों के

* मैं हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र पांगी का निवासी हूँ। यहाँ सिर्फ 5 मास गाड़ियाँ चलती हैं। ... यहाँ मजदूरी करने का समय भी सिर्फ 4½ मास है क्योंकि ठण्ड होने के कारण कोई भी विभाग 4½ मास से ज्यादा काम नहीं लेता। ठेकेदार लगभग 6 मास मजदूरी करा ही लेते हैं पर पर पेमेन्ट 1 या 1½ वर्ष तक नहीं मिलती। ... प्रशासन के पास इतना समय नहीं होता कि वह आम मजदूरों की समस्या का समाधान कर सके और फिर ठेकेदार भी किसी न किसी राजनैतिक दल से जुड़ा होता है इसलिये प्रशासक भी इन ठेकेदारों से उलझने से गुरेज करते हैं। ... जब अक्टूबर और नवम्बर में यहाँ ठण्ड पड़ती है, कभी- कभी बर्फ भी पड़ी होती है तब पी.डब्लू.डी. का पेमेन्ट अधिकारी, एस.डी.ओ. लेबर को 15 किलो मीटर दूर अपने हैडक्वाटर में पेमेन्ट लेने हेतु बुलाता है... कोई जवान मजदूर तो एक दिन में घर वापस आ जाता है पर कईयों को आने- जाने में 2 दिन लग जाते हैं। यानि, एक एस.डी.ओ. 15 किलो मीटर पैदल आ कर 100 लेबर को पेमेन्ट नहीं कर सकता क्योंकि वह अफसर है... एक सौ लेबर को ठण्ड में पैदल चल कर 15 किलो मीटर दूर जा कर पेमेन्ट लेनी पड़ती है।.... पेमेन्ट लेते समय मारपीट तक की नौबत आ जाती है। –हरि सिंह, पांगी

* खामोश रह कर

सहते जाना

जीना घुट-घुट कर

करता है प्रोत्साहित

उन्हें

जिन्होंने कर लिया है अधिकार

हवा, पानी और रोशनी पर।

अंधेरों को चीरने के लिये

चीखना ज़रूरी है

पाने के लिये अपने हिस्से की

हवा, पानी और रोशनी

उठ खड़ा होना ज़रूरी है। – अशोक, दिल्ली

* इस टूटे- बिखरे समय में

सम्पूर्ण मनुष्य बन कर

जीने की जिद

स्थगं गले लगाया

दुखात है भेरे लिये।

– हरभजन, अनु. धर्म सिंह, संगरुर

काटते हैं – ई.एस.आई. कार्ड नहीं दिये हैं। हैल्परों को 1650 रुपये, पैकरों को 1800 और ऑपरेटरों को 2000 रुपये महीना तनखा देते हैं।”

एन.एस.पी. फोरजिंग वरकर : “प्लॉट 142 सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री में ई.एस.आई. व.पी.एफ. के नाम से कभी 150 रुपये, कभी 175, कभी 250 रुपये काटते हैं। पी.एफ. की पर्ची नहीं देते और अकाउन्ट नम्बर नहीं बताते। हर रविवार को ओवर टाइम रहता है, अन्य दिनों भी और महीने में 8-10 दिहाड़ी हो जाता है – ओवर टाइम का भुगतान सिंगल रेट से। हैल्परों को

जानकारी एस्कोर्ट्स

(पेज चार का शेष)

.... 1999 का समझौता पक्षों पर तीन वर्ष के लिये जायज व बाध्यकारी था और समय समाप्ति पर यूनियन ने समूह की प्रत्येक कम्पनी को दिनांक 9.5.2002 अंकित नया मॉगपत्र अलग- अलग से दिया। लेकिन एस्कोर्ट्स समूह की कम्पनियों ने विपरीत कारोबार स्थितियों के दृष्टिगत कोई भी नया वित्तीय भार सहने में अपनी असमर्थता दिखाई, इतनी कि पक्षों के बीच 1999 के समझौते में स्वीकृत उत्पादन के स्तर प्राप्त करने में भी कम्पनियाँ असफल रही हैं। चैंकि कारोबार में मन्दी जारी है, निकट भविष्य में उभार की कोई सम्भावना नजर नहीं आती। इसलिये एस्कोर्ट्स समूह की कम्पनियों ने यूनियन को जोर दे कर स्पष्ट किया कि मौजूदा हालात में कम्पनियों के पास यूनियन द्वारा उठाई वित्तीय माँगों को स्वीकार करने की वित्तीय क्षमता नहीं है। ऐसे में मॉगपत्र को एस्कोर्ट्स लिमिटेड के कारोबार/वार्षिक वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार तक मुलतवी कर दिया जाये।...

पक्षों के बीच आपसी चर्चाओं के परिणामस्वरूप नीचे दी सहमति पर पहुँचा गया है:

1. एस्कोर्ट्स समूह की कम्पनियों की विपरीत कारोबार स्थिति, जो कि स्पष्ट की जा चुकी है, के दृष्टिगत यूनियन/मजदूर मॉगपत्र तब तक मुलतवी करने के लिये सहमत हैं जब तक कम्पनियों का कारोबार/वार्षिक वित्तीय परिणाम उल्लेखनीय तौर पर सुधार नहीं जाते। वे आगे यह आश्वासन भी देते हैं कि अगले समझौते के लिये वे मैनेजमेन्ट पर कोई अनुचित दबाव नहीं डालेंगे। यूनियन/मजदूर यह आश्वासन भी देते हैं कि उपरोक्त व्यक्त हालात सुधरने तक वे ऐसी कोई माँग नहीं करेंगे जिससे वित्तीय असर पड़ता हो। समूह की कम्पनियाँ टिकाऊ व शक्तिशाली बनें इसके लिये होड़ और कीमत युद्ध में मुकाबले के लिये यूनियन बेरोकटोक वाले सहयोग का भरोसा भी दिलाती है।....)

1600 रुपये महीना वेतन देते हैं।”

वी.जी. इन्डस्ट्रीज मजदूर : “प्लॉट 21 की इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित फैक्ट्री में 400 मजदूर 12-12 घण्टे की दोशिपटों में काम करते हैं। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से देते हैं। हैल्परों को 1800 रुपये महीना तनखा। फैक्ट्री में हाथ कटते रहते हैं – ई.एस.आई. अस्पताल भेज देते हैं।”

टी.टी.आई. वरकर : “14/6 मथुरा रोड स्थित फैक्ट्री में ठेकेदार के जरिये रखे 40 मजदूरों को अप्रैल की तनखा 10-12 जुलाई को दी और मई व जून की तनखायें आज 19 जुलाई तक नहीं दी हैं। एस्टाफ की 5-7 महीनों की तनखायें बकाया।”

मसला यह व्यवस्था है

(पेज एक का शेष)

जाओ। शरारत नहीं! अच्छे बच्चे बनने के लिये होमवर्क करना है, फिर ट्यूशन जाना है। अच्छा, एक घण्टा खेलते ना... अंकल को कविता सुनाओ!

नीति, पार्टी, नेता बदलने से इस सब में कोई फर्क पड़ेगा क्या?

बच्चे कुछ नहीं जानते। बच्चों की इच्छायें- अनिच्छायें मात्र परेशानियाँ होती हैं जिनसे पार पाना होता है। बच्चों का हमें भविष्य बनाना है। ... डॉट- पुचकार कर बच्चों को अपने अनुसार चलने को बाध्य करने को स्वयंसिद्ध अच्छाई- सच्चाई लेते बड़ों के अपने तन और मन लहलुहान हैं। आइये, बाल- दर्पण में अपने चेहरे देखें। (जारी)

छुष्ठि प्रिक्टाक्ट ब्रैन (पेज तीन का शेष)

को डबल की दर से और कैजुअल वरकरों को डेढ़ की दर से पैसे।”

श्याम टैक्स इन्टरनेशनल वरकर : “प्लॉट 4 सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री में 12-12 घण्टे की दो शिफ्ट हैं। रविवार को भी 12-12 घण्टे – कोई साप्ताहिक छुट्टी नहीं। तबीयत खराब होने पर ही छुट्टी परन्तु उसके पैसे नहीं। हैल्परों को 1642 रुपये महीना तनखा और ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। ई.एस.आई. कार्ड नहीं, प्रोविडेन्ट फण्ड की पर्ची नहीं। जून का वेतन आज 17 जुलाई तक नहीं दिया है।”

शुभ ग्लोबल मजदूर : “14 मथुरा रोड स्थित फैक्ट्री में 350 स्थाई मजदूर हैं पर जब चाहें, जिसको चाहें निकाल देते हैं। फैक्ट्री में 4-5 ठेकेदारों के जरिये रखे 200 वरकर भी काम करते हैं। हैल्परों को ठेकेदार 1500-1600 रुपये महीना तनखा देते हैं। ठेकेदारों में एक ही पंजीकृत है और उसके जरिये रखे वरकरों की ही ही ई.एस.आई. व.पी.एफ. हैं— बाकी ठेकेदारों के जरिये रखें की नहीं। फैक्ट्री में 12-12 घण्टे की दो शिफ्ट हैं— ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से देते हैं।”

छुछ पिक्टोक्रेट

टेकमसेह मजदूर : "मई माह के अन्त में कम्पनी ने बचे हुये 800 स्थाई मजदूरों में से 350 की छँटनी की अनुमति के लिये श्रम आयुक्त को आवदेन दिया था। जुलाई के आरम्भ में प्रत्येक मजदूर ने श्रम आयुक्त को अलग-अलग शपथपत्र दिये कि कम्पनी ने कानून अनुसार छँटनी प्रावधानों का पालन नहीं किया है और व्यक्तिगत सूचना व सुनवाई के लिये अनुरोध किये। इससे कम्पनी का कानूनी जाल और उलझ गया।

"शुक्रवार, 16 जुलाई को कुछ यूनियन नेता श्रम आयुक्त के पास चण्डीगढ़ गये थे। वहाँ टेकमसेह की टॉप मैनेजमेन्ट पहले ही मौजूद थी। पता चला है कि श्रम आयुक्त ने मैनेजमेन्ट से कहा कि छँटनी की अनुमति नहीं देंगे, यूनियन से समझौता करके वरकर निकाल लो— मैनेजमेन्ट बहुत हताश लग रही थी। फिर श्रम आयुक्त ने लीडरों से कहा कि 350 की नहीं तो 275-300 की छँटनी की अनुमति तो देंगे ही, कम्पनी से समझौता कर लो।

"19 जुलाई को 5 मिनट ली गेट मीटिंग में लीडरों ने बताया कि श्रम आयुक्त की पहल पर चण्डीगढ़ में मैनेजमेन्ट के साथ 5-6 घण्टे मीटिंग हुई है। इसके लिये टॉप मैनेजमेन्ट ने अपने सहायकों को और लीडरों ने अन्य लीडरों को चटपट चण्डीगढ़ बुला लिया था। कोई समझौता नहीं हुआ है— हम आपके लिये लड़ेगे!

"चण्डीगढ़ में कम्पनी से समझौता वार्ता में लीडरों ने कहा कि आप वी.आर.एस. लगा दो। इस पर मैनेजमेन्ट ने कहा कि अभी तो 107 दिन के हिसाब वाली वी.आर.एस. लगाया था पर लोग जाते ही नहीं। छँटनी की अनुमति पर 32 दिन का हिसाब मिलेगा पर 60 दिन का देंगे....

"श्रम आयुक्त ने कम्पनी को समझौता करने के लिये 15 दिन का समय दिया है। इधर 21 जुलाई से कम्पनी ने फैक्ट्री में 9 दिन की ले-ऑफ लगा दी है। छँटनी के लिये दबाव के बास्ते हवा खड़ा किया जा रहा है। अगर कम्पनी की चली तो 350 और मजदूरों की छँटनी करेगी ही। कुछ लोग कहते हैं कि कम्पनी की ही चलेगी ... अगर कम्पनी की ही चलती तो बारह हजार रुपये तनखा क्यों देती? छँटनी के लिये अनुमति क्यों मांगती? 32 दिन की जगह 107 दिन के हिसाब वाली वी.आर.एस. क्यों लगाती? राजी से कटने की कोई तुक नहीं है।"

बोनी रबड़/बोनी पोलीमर मजदूर : "सैक्टर-6 में प्लॉट 9 ई में बोनी रबड़ स्थित है और प्लॉट 37 में बोनी पोलीमर—दोनों फैक्ट्रियों में महीने के तीसों दिन 12-12 घण्टे की दो शिफ्ट हैं, ओवरटाइम के पैसे सिंगल रेट से। एक से दूसरी फैक्ट्री में बिना कोई पत्र दिये वैसे ही काम करने भेज देते हैं— रबड़ में 150 और पोलीमर में 300 मजदूर हैं। बोनी पोलीमर में ठेकेदारों के जरिये रखे वरकरों में हैल्परों को

1200-1500 रुपये महीना तनखा देते हैं।"

शिवालिक ग्लोबल वरकर : "12/6 मथुरा रोड स्थित बड़ी फैक्ट्री में एयर डाइंग, प्रिन्टिंग, हॉजरी तथा एक्सपोर्ट खण्ड हैं। फैक्ट्री में 12-12 घण्टे की दो शिफ्ट हैं। कम्पनी ने स्वयं जिन्हें भर्ती किया है उन्हें 26 दिन 12 घण्टे रोज पर 2500 रुपये देते हैं। दर्जन से ज्यादा ठेकेदारों के जरिये रखे वरकरों को 12 घण्टे तीस दिन पर 2000 रुपये देते हैं। शिफ्ट सुबह 8 से रात 8 बजे और रात 8 से अगले रोज सुबह 8 बजे तक है। प्रिन्टिंग में आजकल शनिवार व रविवार काम बन्द रहता है और शिफ्ट इन्वार्ज गालियाँ बहुत देते हैं। मई की तनखा 30 जून को जा कर दी थी और जून की आज 14 जुलाई तक नहीं दी है। तनखा माँगने पर मजदूर को बाहर कर देने वाले शिफ्ट इन्वार्ज 23,000 रुपये, 24 हजार व तीस हजार महीना तनखा लेते हैं और प्रिन्टिंग मास्टर एक लाख अस्सी हजार रुपये महीना— चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर एस.के.अग्रवाल पता नहीं कितने लेता है। हाजरी सादे रजिस्टर पर लगाते हैं। ई.एस.आई. के पैसे काटते हैं पर ई.एस.आई. कार्ड नहीं देते। प्रोविडेन्ट फण्ड के नाम से 325 रुपये महीना काट लेते हैं।"

एस.पी.एल. ओवरसीज मजदूर : "प्लॉट 184 सैक्टर-25 स्थित फैक्ट्री में कम्पनी ने स्वयं जिन मजदूरों को रखा था उन सब को 10 व 11 जुलाई को निकाल दिया— बस चैकर बचे हैं और सुना है कि उनका आज, 13 जुलाई को हिसाब हो जायेगा। अब दो ठेकेदारों के जरिये रखे 500-600 मजदूर फैक्ट्री में बचे हैं। हैल्परों को 1400-1500 रुपये महीना तनखा देते हैं। मई की तनखा 29 जून को जा कर दी थी— जून का वेतन कल, 12 जुलाई तक नहीं दिया था।"

ब्रॉन लैबोरेट्री वरकर : "13 इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित फैक्ट्री में 4 ठेकेदारों के जरिये रखे मजदूरों में हैल्परों को महीने के तीसों दिन काम पर 1500 रुपये देते हैं— रविवार की साप्ताहिक छुट्टी करने पर तनखा 1400 रुपये भी नहीं पड़ती। एक ठेकेदार के मजदूरों को जून की तनखा 7 जुलाई को दे दी गई— ठेकेदार घर गया है। अन्य ठेकेदारों के वरकरों को तथा स्थाई मजदूरों को जून का वेतन आज 13 जुलाई तक नहीं दिया है।"

क्लच आटो मजदूर : "12/4 मथुरा रोड स्थित फैक्ट्री में जून का वेतन 10 जुलाई को देना शुरू किया तथा कल, 15 जुलाई तक दो विभागों के सब स्थाई मजदूरों को दे दिया गया था। कैजुअल वरकरों को जून की तनखा आज 16 जुलाई तक नहीं दी है। स्टाफ को भी अभी जून की तनखा नहीं दी है। कम्पनी ने दिसम्बर 03 में और उसके बाद करवाये ओवर टाइम काम के पैसे नहीं दिये हैं— 7 महीनों के बकाया हो गये हैं। ओवर टाइम के भुगतान में भी कम्पनी दुभान्त करती है— स्थाई मजदूरों (बाकी पेज दो पर)

फरीदाबाद

फैक्ट्रीकेटर्स

फरीदाबाद फैक्ट्रीकेटर्स मजदूर : "प्लॉट 311, 312, 313 सैक्टर-24 स्थित फैक्ट्री में 7-8 स्थाई और दो ठेकेदारों, हिन्दुस्तान सेक्युरिटी सर्विस व सुपर सेक्युरिटी सर्विस के जरिये रखे 500 मजदूर काम करते हैं। एक शिफ्ट है— 12 घण्टे तो काम करना ही पड़ता है, उसके बाद भी रोक लेते हैं। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से।

"रजिस्टर में हस्ताक्षर करवा कर हैल्पर को 2244 व ऑपरेटर को 2352 रुपये महीना तनखा के हिसाब से पैसे देते हैं— इन में से ई.एस.आई.व.पी.एफ. के पैसे काटते हैं। लेकिन कार्यस्थल पर लौटते ही हर विभाग का फोरमैन 500 रुपये प्रत्येक मजदूर से वसूलता है। पैसे देने से इनकार पर गाली, पिटाई, नौकरी से निकाल देना। कम्पनी का चेयरमैन कहता है कि मुझे काम से मतलब है, मैंने तनखा पूरी दे दी, अब तुम जा कर नाले में डाल दो तो मैं क्या करूँ। चेयरमैन और उसके बेटे फैक्ट्री में चक्कर काटते रहते हैं।

"चर्चा है कि मैनेजर आधे पैसे लेता है। जो फोरमैन पैसे नहीं वसूल पाता अथवा कम वसूल पाता है उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। फैक्ट्री में चार वर्ष पहले 10 घण्टे की ड्युटी थी और कोई साप्ताहिक छुट्टी नहीं थी तब तनखा से यह वसूली नहीं थी। ड्युटी 8 घण्टे की करते ही तनखों में से 300 रुपये वसूली शुरू की। फिर हैल्पर की 1985 और ऑपरेटर की 2035 रुपये तनखा हुई तब वसूली 500 रुपये कर दी यह कह कर कि तनखा बढ़ गई है। इस वसूली के खिलाफ चेयरमैन को, बेटों को, पुलिस को की जाती शिकायतें रफा-दफा कर दी जाती हैं।

"फरीदाबाद फैक्ट्रीकेटर्स में कैन्टीन नहीं है। चाय-मट्टी तक नहीं देते 12 घण्टे में और बाहर से चाय मँगाने पर रोक लगा दी है। लन्च में मट्टी-बिस्कुट अन्दर ले जा रहे मजदूर की तलाशी ले कर वहीं खाने को बोलते हैं— ऐसे भी गार्ड हैं जो मट्टी को फेंक देते हैं।

"मारुति, आयशर, एस्कोर्ट्स, जे.सी.बी. के लिये पुर्जे बनाती फैक्ट्री में शीट मैटल का काम है और एक्सीडेन्ट होते रहते हैं। महीने में 4-5 तो हो ही जाते हैं— ज्यादातर में हाथ कटते हैं। एक्सीडेन्ट होने पर तुरन्त फैक्ट्री गेट के बाहर खड़ा कर देते हैं— ठेकेदार कम्पनी को फोन कर देते हैं और ठेकेदार के आदमी आ कर इलाज के लिये ई.एस.आई. अस्पताल ले जाते हैं। उँगलियाँ कटों को आमतौर पर नौकरी से निकाल देते हैं। पांच बजे बाद एक्सीडेन्ट होता है तब अगले रोज सुबह 10 बजे का दिखाते हैं— प्रायवेट में इलाज के बाद ई.एस.आई. अस्पताल ले जाते हैं।"

डाक पता : मजदूर लाईब्रेरी,
आटोपिन झुगी,
एन.आई.टी फरीदाबाद-121001

ओखला से -

माइकल आराम एक्सपोर्ट मजदूर : "प्लॉट बी- 156 फेज- 1 ओखला स्थित फैक्ट्री के गेट पर 2 अगस्त को एक की जगह 4 गार्ड लगे थे और मैनेजमेन्ट का नोटिस कि डायरेक्टर के आदेश पर 4 स्थाई मजदूर नौकरी से निकाल दिये हैं, वे कम्पनी के मुख्यालय लाडो सराय जा कर हिसाब ले लें। सामान्य हालात में यह बिलकुल अचानक किया गया - रविवार की छुट्टी के बाद सोमवार को सुबह 6 बजे की शिफ्ट में ड्युटी पहुँचे तो एक्सीडेन्ट की तरह यह लगा। नौकरी से बरखास्त मजदूरों को कोई आरोप- पत्र नहीं दिया, कोई जाँच कार्रवाई पर फैसले जैसी बात नहीं। डायरेक्टर वर्ष में मुश्किल से एक बार फैक्ट्री आता है और नोटिस पर मैनेजर के हस्ताक्षर थे। कारण पूछने पर मैनेजर ने कहा कि आप लोग कोर्ट जाइये, वहाँ कारण बतायेंगे। दोनों शिफ्टों के मजदूरों ने इकट्ठे हो कर पूछा तब मैनेजर ने कहा कि कम्पनी तीन महीने की नोटिस- पेंदे रही है; लड़ोगे तो कुछ नहीं पाओगे; लटक जाओगे; हार जाओगे; सड़ते रहोगे; हम लीडर खरीद लेंगे; श्रम आयुक्त/उप श्रमायुक्त खरीद लेंगे लेबर इन्सपैक्टर तो होता क्या है - वह तो दो- चार सौ रुपये में चला जाता है

"दोनों शिफ्टों में मजदूरों ने टूल डाउन किया। अगले रोज 8 मजदूर पुष्टा भवन में श्रम विभाग गये और असिस्टेंट लेबर कमिश्नर को शिकायत की - लेबर इन्सपैक्टर को 4 अगस्त को फैक्ट्री भेजने की बात परन्तु वह आज 5 अगस्त को भी नहीं आया। लगातार टूल डाउन से फँस जाने - तालाबन्दी कर दिये जाने आदि के दृष्टिगत आधे मन से फैक्ट्री में कार्य शुरू। कम्पनी की ओखला फेज- 1 में ही प्लॉट सी- 82 स्थित फैक्ट्री के मजदूरों से हम बी- 156 वाले मजदूर बातचीत कर रहे हैं। क्या- क्या कर सकते हैं पर चर्चायें, मन्थन चल रहा है।

"माइकल आराम एक्सपोर्ट फैक्ट्री में स्टील पॉलिश का काम होता है। फैक्ट्री में बहुत प्रदूषण है - नहाये बगैर तो फैक्ट्री से निकल नहीं सकते। पीने के लिये स्वच्छ पानी के बास्ते, घटिया साबुन जिससे खुजली हो जाती है उसके खिलाफ कम्पनी से जूझना पड़ता है। मास्क तो देते ही नहीं, मुँह- सिर पर बाँधने के लिये साफ कपड़ा माँगने की नौबत है क्योंकि कम्पनी शमशान वाले कपड़े देती है। ओवर टाइम का भुगतान डबल की बजाय डेढ़ की दर से करती कम्पनी ने ओवर टाइम में दिये जाते समोसे बन्द किये और हमें समोसों के लिये जूझना पड़ा। जूता- वर्दी देते ही नहीं और काम ऐसा है व दस्तानों की गुणवत्ता ऐसी कि 3 दिन में धिस जाते हैं - हाथ जलते हैं पर हफ्ते में दो जोड़ी दस्ताने कम्पनी नहीं देती। वर्ष में 12 प्रतिशत बोनस देती कम्पनी ने पिछली दिवाली पर 8.33 प्रतिशत बोनस दिया तो सब मजदूरों ने तत्काल उसे वापस कर दिया था.... अपनी मनमर्जी से लूट जारी रखने और हमारे विरोध को दबाने के लिये कम्पनी ने अकस्मात नौकरी से निकालने वाली यह घटना रची है।"

जानकारी

एस्कोर्ट्स मजदूर : "नेता कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। डिसमिस तीन नेताओं को ड्युटी पर लिये जाने से एक दिन पहले मैनेजमेन्ट और यूनियन द्वारा 3.4.2003 को हस्ताक्षरित यह सहमति- पत्र देखिये... (एम ओ यू अंग्रेजी में है) कुछ अंशों का मोटा- मोटी अनुवाद यह है :
(बाकी पेज दो पर)

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं सम्पादक शेर सिंह के लिए जे० के० आफसैट दिल्ली से मुद्रित किया।

सौरभ लेजर टाइपरेटर्स, बी-546 नेहरु ग्राउंड, फरीदाबाद द्वारा टाइपसैट।

हत्या के मुहाने : मजदूर-जल-जमीन-वायु

हाई पोलीमर लैब मजदूर : "प्लॉट 6,7,8, सैक्टर- 25 स्थित फैक्ट्री में 25 जुलाई को घायल मजदूर की 29 जुलाई को मृत्यु हो गई। और, 29 जुलाई को फैक्ट्री में एक अन्य घायल हुआ मजदूर अस्पताल में है। हाई पोलीमर ग्रुप की फैक्ट्रियों में मजदूरों के घायल होने और मरने का अटूट सिलसिला है - दुधौला गाँव स्थित फैक्ट्री में तो 5 मजदूरों की जलने से मौत हो गई थी।

"हाई पोलीमर लैब ग्रुप की फैक्ट्रियों में रसायनों की भरमार रहती है - सैक्टर- 25 में प्लॉट 6,7,8 स्थित फैक्ट्री में ही प्लास्टिक, रबड़, दवाइयों में डालने वाले 35 किस्म के रसायनिक पाउडरों का उत्पादन होता है, महीने में इन पाउडरों का 600 टन उत्पादन होता है। उत्पादन में क्लोरीन व ब्रोमीन गैस, सलफ्युरिक व हाइड्रोक्लोरिक तेजाब तथा अन्य रसायन इस्तेमाल होते हैं। रसायन ऐसे हैं कि एक की बोरी दूसरे की बोरी के पास रखने पर अपने- आप आग लग जाती है। गैस के खतरे बढ़ाती है कम्पनी की स्थाई मजदूर रखने की बजाय ठेकेदारों के जरिये वरकर रख कर सस्ते में काम करवाने की नीति। प्लॉट 6,7,8 सैक्टर- 25 में 150 स्थाई, 25 देनी और 4 ठेकेदारों (टाइगर, सुपीरियर, सुप्रीम, शान) के जरिये रखे 400 वरकर हैं।

"24 जुलाई को दूसरी पाली में ड्युटी के बाद रात की तीसरी पाली में रोक लिये गये शान ठेकेदार कम्पनी के मजदूर लक्ष्मी को रविवार, 25 जुलाई को सुबह की ड्युटी में भी जबरन रोक लिया गया। रविवार दोपहर 3 बजे सुपरवाइजर ने जैड बी एस प्लान्ट के कम्प्युटर रूम की छत पर सफाई के लिये लक्ष्मी को चढ़ा दिया। छत गते की है - छत पर पैर रखते ही लक्ष्मी नीचे गिरा और माथे पर से सिर फट गया। बेहोश मजदूर को सैक्टर- 8 में ई.एस.आई. अस्पताल ले गये - वहाँ से दिल्ली सफदरजंग अस्पताल भेज दिया। 28 जुलाई को कम्पनी दोपहर 3 बजे सफदरजंग अस्पताल से लक्ष्मी को निकाल लाई और रात 9½ बजे उसे सम्मालने के लिये परिवार के पास ले गई। घरवालों ने उस हालत में लक्ष्मी को अपने पास रखने से इनकार कर दिया और इसकी सूचना फैक्ट्री पहुँचने पर फैक्ट्री में हँगामा हुआ, मजदूर फैक्ट्री के बाहर निकलने लगे। ऐसे में कम्पनी रात 11 बजे लक्ष्मी को फिर ई.एस.आई. अस्पताल ले गई। ई.एस.आई. वालों ने पुनः दिल्ली भेज दिया - 29 जुलाई को दोपहर 2 बजे लक्ष्मी की मृत्यु हो गई।

"मृत्यु की सूचना पर 29 को शाम 5 बजे फैक्ट्री गेट पर मीटिंग में भाँति- भाँति के नेता पहुँचे। लक्ष्मी की लाश मिलने पर 30 जुलाई को फैक्ट्री गेट पर रख दी गई और धरना आरम्भ। लक्ष्मी की पत्नी को सवा लाख रुपये, परिवार के एक सदस्य को फैक्ट्री में नौकरी, लक्ष्मी के शव को बिहार में उसके गाँव पहुँचाने का प्रबन्ध कम्पनी द्वारा करने वाला समझौता होने पर धरना समाप्त।

"दिल्ली अस्पताल में 29 जुलाई को दोपहर 2 बजे लक्ष्मी की मृत्यु हुई और इधर शाम 7 बजे फैक्ट्री में इलेक्ट्रिशियन शेर सिंह को बिजली का झटका लगा। मछगर गाँव का रहने वाला फैक्ट्री का यह स्थाई मजदूर जनरेटर रूम में 15 फुट ऊँचाई से नीचे गिरा। छाती, रीढ़, हाथों और पैरों में चोटें। ई.एस.आई. अस्पताल ले गये जहाँ से दिल्ली सफदरजंग भेज दिया गया। वहाँ बिस्तर उपलब्ध नहीं होने पर रात 3 बजे वापस यहाँ लाये गये शेर सिंह को सैक्टर- 7 में एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है।

"बचत का यह फेर जमीन को भी खराब कर रहा है। फैक्ट्री में ट्रीटमेन्ट प्लान्ट दस वर्ष से लगा है पर इस्तेमाल नहीं करते थे और रसायन युक्त पानी नहर में डालते थे - ट्रीटमेन्ट प्लान्ट इस्तेमाल करने पर एक ट्रक चूना दिन में लगता। किसानों द्वारा खेत खराब होने की बहुत शिकायतें हुई। ढाई साल से अब ट्रीटमेन्ट प्लान्ट इस्तेमाल करते हैं पर दिन में ही - रात को रसायन युक्त पानी अब भी नहर में डाला जा रहा है।

"हाई पोलीमर लैब फैक्ट्री से गैसें दिन में नहीं छोड़ते - शाम 6½-7 बजे छोड़ते हैं और उस समय फैक्ट्री के पास से गुजरने में भी बहुत भारी बदबू झेलनी पड़ती है। यह रोज का काम है। फैक्ट्री के अन्दर गैस रिसने व अन्य रसायनों से हर समय खतरा रहता है परन्तु मजदूरों को गैस मास्क, दस्ताने, हेल्मेट, चश्मे, जूते, सेफटी बैल्ट, पाउडर से बचाव के लिये नोज मास्क नहीं दिये जाते। श्रम विभाग और प्रदूषण नियन्त्रण विभाग इन सब पर स्वयं तो कोई कार्रवाई करते ही नहीं, मजदूरों की शिकायतों को भी अनसुनी करते हैं।

"लक्ष्मी को कम्पनी ठेकेदार का वरकर कहती रही परन्तु 28 जुलाई को और फिर 29-30 जुलाई को हाई पोलीमर लैब के स्थाई मजदूरों तथा ठेकेदारों के जरिये रखे गये वरकरों ने मिलजुल कर कदम उठाये - कम्पनी को कुछ झुकने को मजबूर किया।"